(ग) क्या "पेप्सी कोला" ने बाजार में प्रवेश पाने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) सरकार ने 'लिम्का एण्ड फाल्स मेज एम आर पी टी पी मी' शीर्षक से एक प्रेस रिपोर्ट देखी है। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग ने 6.7.90 को एक आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने प्रचार अभियान में झूठ और गुमराह करने वाले विज्ञापन को जारी रखे रहने से लिम्का के निर्माण को रोका है।

खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अन्तर्गत लिम्का और कुछ अन्य शीतल पेयों के उपयोग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत में कोई व्यक्ति पैप्सी कोला का निर्माण नहीं कर रहा है। बहरहाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में मैसर्स पैप्सी फूड्स द्वारा नियुक्त किए गए कई फेंचाइजिज को फल उत्पाद आदेश, 1955 के अंतर्गत लेहर पेप्सी, लेहर 7 अप और लेहर मिरिंज जैसे मीठे वातित पेय निर्माण करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली स्थित अधिकारियों को इन ब्रांडों के निर्माण के लिए अपने लेवल/क्राउन की अनुमति अभी दी जानी है।

यद्यपि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अधिकारियों को पेप्सी के सोफ्ट ड्रिंक्स बोतलों की अनुमति दी गई है। लेकिन उन्होंने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है।

लेहर पेप्सी (कोलारस पेय) का विश्लेषण खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के फल और वनस्पति संरक्षण निदेशालय के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया गया है और वे फल उत्पाद आदेश, 1955 के मानकों के अनुरूप पाए गए। उत्तरी क्षेत्र से अभी कोई नमूना नहीं लिया गया है।

Schemes executed with the financial assistance from the Salt Cess Fund

2989. SHRI ANANTRAYDEV SHANKER DAVE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) whether it is a fact that a lot of, delay takes place in giving administrative approval to the schemes which are executed with financial assistance from Salt Cess Fund; and

(b) if so, how many meetings of the Gujarat Regional Advisory Salt Boards have been held since 1987 onwards and what was the total number of schemes and the amounts sanctioned therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) No, Sir.

(b) Three meetings were held by Gujarat Regitonal Advisory Boajd for salt during 1987-90 (July). During the above period a total number of 73 schemes have been sanctioned and an amount of Rs. 88. 19 lakh has been provided from the Salt Cess Proceeds.

परिवार नियोजन नीति की समीक्षा

2990. **श्रीराम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1990 के टाइम्स ऑफ इंडिया में "नीड टू रीओरिएंट पोपुलेशन पोलिसीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में भारी मात्रा में धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद जन्मदर में कोई विशेष कमी नहीं हुई है;